बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015
फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, बेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

सं.सं.-नि.प्रा./नि॰ 1-76/2009 -404 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रेषक,

एन० एस० माधवन
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
<u>जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)</u>
<u>सभी नोडल पदाधिकारीस</u>
<u>सभी अनुमंडल पदाधिकारी</u>
<u>सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी</u>
सभी निर्वाचन पदाधिकारी।

विषय :- पैक्स निर्वाचन : चुनाव कार्यो में महिलाओं की प्रतिनियुक्ति की स्थिति में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा गर्भवती महिला कर्मियों को प्रतिनियुक्त नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

निर्वाचन कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त की जानी वाली प्रत्येक महिला के लिए आवासन, स्नान, शौच आदि के लिए स्वतंत्र व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी तथा इसके संबंध में उसे अग्रिम रूप में सूचित कर दिया जाएगा; अगर ऐसी व्यवस्था संभव न हो सके तो महिला कर्मी को निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

2. पैक्स के चुनाव में बढ़ी हुई गर्भावस्था की (advanced stage of pregnancy) किसी महिला को, चाहे वह मातृत्व अवकाश पर हो अथवा नहीं, या जो चिकित्सीय सलाह पर कोई कठिन अथवा श्रमसाध्य कार्य करने के योग्य नहीं हो, निर्वाचन कर्तव्य पर नहीं लगाया जाएगा। सद्य:प्रसूत महिलाओं के प्रसंग में भी यह प्रतिबंध लागू होगा।

3. कृपया उक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(एन० एस० माधवन)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक- 404 , पटना दिनांक- 22 मई, 2009

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
मुख्य चुनाव पदाधिकारी